मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 6300 /NREGS-MP/NR-17/10 भोपाल, दिनांक 25/06/10

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,**
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–म.प्र.
   जिला– समस्त (म.प्र.)

विषय–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के अंतर्गत "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन में संशोधन बावत।

संदर्भ – 1. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्र 6673/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 दिनांक 20.04.2007
2. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्र 2402/22/वि–7/ग्रा.रो./2006 दिनांक 22.02.2006

–0–

संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। परिपत्र क्रमांक 6673 की कण्डिका 4.5.3 पैरा–2 एवं परिपत्र 2402 की कण्डिका 8 में वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए Barbed Wire की फेंसिंग का प्रावधान था।

नंदन फलोद्यान उपयोजनांतर्गत कुछ जिलों में वृक्षारोपण की लागत में वृद्धि Barbed Wire फेंसिंग के कारण परिलक्षित हुई है। एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के दिशा–निर्देशों के अनुरूप 60:40 का अनुपात संधारित न होने के कारण Barbed Wire फेंसिंग के प्रावधान को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए पौधों की सुरक्षा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियों की बागड़ या बांस के ट्री गार्ड लगाकर अथवा वृक्षारोपण स्थल के चारों ओर सी.पी.टी. खोदकर या स्थानीय स्तर पर पत्थर उपलब्ध होने पर सी.पी.डब्ल्यू बनाकर की जावे।

योजनांतर्गत यह भी अपेक्षित है कि हितग्राही अथवा हितग्राही समूह उक्त तरीकों से Fencing कर स्वयं पौधों की हिफाजत करें। ऐसा करने से उनकी Ownership तथा योजना के उद्देश्यों पर Commitment (प्रतिबद्धता) भी बढ़ेगी ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न –
संदर्भित परिपत्र 1 एवं 2

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

D:\Data 2010\letter.doc

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क 6673 /22/वि–1/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल, दि. 20/04/2007

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   एवं कलेक्टर
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
2. **जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं**
   मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
   जिला – श्योपुर, छतरपुर, मण्डला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

1. **पृष्ठभूमि :**

सर्वविदित है कि वृक्षों का अस्तित्व पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक है वृक्षों और मानव की आजीविका का भी सनातन संबंध रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में यदि उद्यानिकी प्रजाति के पौधों का रोपण कर फलोद्यान विकसित जायें तो यह फलोद्यान पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में सहायक होने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए आय सृजन का स्थायी स्त्रोत भी उपलब्ध करा सकेंगे।

उक्त के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है। "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत पात्र एवं चयनित हितग्राहियों के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। तत्संबंध में यह आदेश जारी किये जा रहे हैं।

हेतु फेंसिंग या प्रति पौधे के लिए बागड़ एवं 5 वर्षों तक पौधों की निदाई/गुड़ाई/सिंचाई/खाद एवं सुरक्षा/मृत पौधों को बदलने का विवरण शामिल होगा।

4.5.2 ऐसे हितग्राही अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल जिनके पास "नंदन फलोद्यान" हेतु सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं है, उनके प्रकरणों में सहयोग दल अपनी अनुशंसा में तदाशय का स्पष्ट उल्लेख कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके आधार पर ग्राम पंचायत पैरा – 4.3.1 और पैरा – 4.4.5 के अनुक्रम में संबंधित हितग्राहियों के लिए "कपिलधारा उपयोजना" के प्रावधानों (इस विभाग के आदेश क्र. 6077/12/वि–9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 7.4.2007) के अनुरूप सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध कराने का कार्य इन हितग्राहियों की "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल कर करायेगी।

4.5.3 **सुरक्षा हेतु फेंसिंग का प्रावधान व प्राक्कलन में इसका समावेश :**

"नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए फेंसिंग के निम्न दो मॉडल उपयोग में लाये जा सकते हैं :–

- ऐसा वृक्षारोपण जहां एक ही स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 से कम हो उन स्थलों पर प्रत्येक पौधे की स्थानीय तौर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियों या बांस के ट्री गार्ड लगाकर व्यक्तिगत रूप से फेंसिंग की जा सकती है अथवा वृक्षारोपण स्थल के चारों ओर सीपीटी खोदकर फेंसिंग की जा सकती है। इस प्रकार की फेंसिंग के लिए व्यय अनुमान का उल्लेख अनुलग्नक – 5 में दर्शाये गये मॉडल प्राक्कलन में किया गया है।
- ऐसा वृक्षारोपण जहां एक ही स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 से अधिक हो व रोपण का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक हो उन स्थलों पर Barbed Wire की फेंसिंग की जा सकती है। Barbed Wire फेंसिंग के व्यय अनुमान एवं उसके Parameters एवं Specification का उल्लेख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2402/22/वि–7/ग्रा.रो./2006 दिनांक 22.2.2006 में किया गया है।

अतः "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु हितग्राहीवार/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार प्राक्कलन तैयार करते समय इसमें उपरोक्तानुसार फेंसिंग के प्रावधानों को ध्यान में रखकर फेंसिंग की लागत का यथोचित समावेश किया जायेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 2402/22/वि–7/ग्रा.रो./2006 भोपाल, दिनांक 22/02/06

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कलेक्टर,
म0 प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला – श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर,
बैतूल, खण्डवा, धार, झाबुआ, मण्डला, खरगोन,
बड़वानी, शहडोल, सिवनी, सतना, सीधी, बालाघाट,
डिण्डौरी, उमरिया म0 प्र0

2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म0 प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला पंचायत – श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर,
बैतूल, खण्डवा, धार, झाबुआ, मण्डला, खरगोन,
बड़वानी, शहडोल, सिवनी, सतना, सीधी, बालाघाट,
डिण्डौरी, उमरिया म0 प्र0

3. कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी(जनपद पंचायत)
म0 प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त जनपद पंचायत, जिला – श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर,
बैतूल, खण्डवा, धार, झाबुआ, मण्डला, खरगोन,
बड़वानी, शहडोल, सिवनी, सतना, सीधी, बालाघाट,
डिण्डौरी, उमरिया म0 प्र0

विषयः– म0 प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 हेक्टेयर क्षेत्र का ग्राम वन लगाने बाबत् ।

जैसा कि आपको विदित है म0 प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वार प्रत्येक ग्राम के परिवार को वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम पंचायत में भू–जल सरंक्षण एवं वनीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कियान्वित किया जाना है । आपको यह विदित है कि वर्षा ऋतु में किये जाने वाले कार्यों की संख्या सीमित होगी, परंतु आवेदकों को रोजगार मुहैया कराना आवश्यक होगी। इसलिए वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण हो जाते है। आपको 5 हेक्टेयर वृक्षारोपण का व्यय अनुमान निम्नांकित निर्देशों के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। संबंधित ग्राम पंचायत के अनुमोदन के पश्चात् इस कार्य को सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर ग्राम पंचायत/स्वसहायता समूहों के माध्यम से कियान्वयन करवाया जावें।

1. अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत 5 हेक्टेयर क्षेत्र का ग्राम वन म0 प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लगाया जाना है । ग्राम वन क्षेत्र हेतु प्रत्येक ग्राम में 5 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया जाना है ।
2. वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र,वन विभाग अथवा राजस्व विभाग की जो भी क्षेत्र रिक्त हो और वनीकरण कार्य के लिये उपयुक्त हो चिन्हांकन किया जावे ।
3. ग्राम पंचायत की स्वयं की भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में वन विभाग अथवा राजस्व विभाग की भूमि का चिन्हांकन किया जावे । चिन्हांकन के पश्चात संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उस क्षेत्र का डी–मार्केशन कराया जावे । भूमि के चयन,

चिन्हांकन एवं अन्य विभाग यथा वन, राजस्व की भूमि होने पर संबंधित विभाग से भूमि के
डी–मार्केशन एवं सहमति पश्चात वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ किया जावे ।

4. प्रजाति चयन– प्रजातियां जैसे आंवला, बांस, नीम, करंज, जेट्रोफा, केस्टर, खमेर, प्रजाति
के पौधों को प्राथमिकता दी जा सकती है । प्रजाति का चयन, भूमि के प्रकार एवं
स्थानीय मांग पर ही आधारित होगा।

5. वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था म0 प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत तैयार
की गई पौधशालाओ से कय कर की जावे, वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग से भी पौधे
रोपण हेतु प्राप्त किये जा सकते हैं।

6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि वर्षा के पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 हेक्टेयर क्षेत्र का
ग्राम वन की स्थापना कर दी जाये । इस कार्य में जो श्रमिक कार्य करेगें वे म0 प्र0
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ही कार्य करेंगे। ग्राम वन लगाने हेतु पौधे एवं
खाद इत्यादि का कय ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा सकता है और अगर इसमें कोई
कठिनाई हो तो वन विभाग के माध्यम से भी म0 प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के
फण्ड्स के अन्तर्गत आवश्यक सामग्री कय की जा सकती है ।

7. ग्राम पंचायत में 5 हेक्टेयर क्षेत्र का ग्राम वन की स्थापना के लिये स्व–सहायता समूहों
को गठित कर वृक्षारोपण, एवं उनके संरक्षण का कार्य स्व–सहायता समूहों के माध्यम से
किया जाना उचित होगा, अर्थात, स्वयं सहायता समूह कियान्वयन एजेंसी होंगे ।

8. 5 हेक्टेयर ग्राम वन की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जावे और भूमि की तैयारी,
गढ्ढे खोदने का कार्य, 5 हेक्टेयर क्षेत्र में बारबेड वायर की फेंसिंग कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व
पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें ।

9. वृक्षारोपण हेतु चयन किये गये क्षेत्र का भू–भाग ऐसा होना चाहिये जहां वर्षा ऋतु में पानी
रूके नहीं और दल–दल न हो । क्षेत्र Well Drained होना चाहिये । प्रजातियों का
चयन भूमि के प्रकार पर निर्भर करेगा । उचित होगा की रोपण पूर्व वन विभाग,
उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञों से रोपित की जाने वाली प्रजातियों का चयन करा लिया
जावे, ताकि तकनीकी रूप से भूमि के प्रकार के आधार पर सही प्रजाति का चयन हो
सके ।

10. रोपण क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले पौधे स्वस्थ होने चाहिये और उनकी ऊंचाई कम से
कम 1 से 1 1/2 फुट से अधिक होनी चाहिये ।

11. वर्षा ऋतु के उपरान्त वृक्षारोपण क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता का परीक्षण
तैयारी प्रारंभ करने के पूर्व ही करना आवश्यक है। सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी का स्त्रोत
आस–पास होना चाहिये ।

12. समस्त कार्यकम अधिकारी उनके अधीनस्थ समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों की दो
दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर मॉडल ग्राम पंचायत पौधशाला स्थापना, 5 हेक्टेयर
वनीकरण प्रोजेक्ट तथा सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु प्रशिक्षण सुनिश्चित करें और प्रशिक्षण
कार्यकम में वन विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं वृक्षारोपण विशेषज्ञों को आंमत्रित किया
जाये । सभी सरपंचों का प्रशिक्षण सम्पन्न किया जाये व पौधशाला की स्थापना का कार्य
माह फरवरी से ही प्रारंभ किया जाये ताकि 30 जून तक रोपण हेतु उपयुक्त पौधे तैयार
किये जा सकें ।

13. स्वयं सहायता समूहों को वृक्षारोपण कार्यों, वृक्षारोपण के रख–रखाव, निंदाई, गुड़ाई,
सिंचाई इत्यादि का प्रशिक्षण दिलाया जाना आवश्यक होगा ।

14. ग्राम पंचायत में 5 हेक्टेयर क्षेत्र का ग्राम वन की स्थापना के व्यय अनुमान का पत्रक
संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव,
म0 प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग